न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 124 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. बाबूराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट 2. दलाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी मानाणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.वीरमाराम पुत्र पुरखाराम 2.रामाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट, निवासी निहालाणियों का टीबा (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर। 3.छगनदेवी पत्नी सरूपाराम 4.गोमाराम पुत्र तगाराम 5.आम्बाराम पुत्र तगाराम जाति दर्जी, निवासी मानाणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर जिला बाड़मेर। 6.जेठमालसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत, निवासी ढोक तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर। 7.दलाराम पुत्र खरथाराम 8.पेमाराम पुत्र खरथाराम 9.खूमाराम पुत्र अमराराम जाति जाट, निवासी मानाणियों की वस्ती (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर। 10.श्रीमान तहसीलदार रामसर, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 05 / 2015 बअनवान वीरमाराम वगैरा बनाम छगनीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 के विरूद्व पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री प्रवीण के जाट अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 एवं अपीलांटगण एवं उतरदाता संख्या 2 ला 9 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 286 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 360 / 287 रकबा 76. 17 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा व खसरा संख्या 344 / 271 रकबा 16.04 बीघा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 346/271 रकबा 04.19 बीघा व खसरा संख्या 396/208 रकबा 68.08 बीघा मौजा मानाणियों की बस्ती, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में आये हुये है। वादग्रस्त आराजी में से उतरदातागण संख्या 1 व 2 द्वारा खेत खसरा संख्या 376/288 रकबा 68.08 बीघा में से 17.02 बीघा अर्थात सम्पूर्ण खेत का 1/4 हिस्सा मूल खातेदार उतरदाता संख्या 3 से जरिये रजिस्ट्री करवा कर दिनांक 11.08.2014 को खरीद किया बताता है। इसी प्रकार उतरदातागण संख्या 1 व 2 खेत खसरा संख्या 286 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 360/287 रकबा 76.07 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा में से 25.15 बीघा भूमि अर्थात सम्पूर्ण खेतो का 1/3 हिस्सा उतरदाता संख्या 3 से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.07.2014 को क्रय करना बताते है। खरीदशुदा खेतों में उतरदाता/वादीगण संख्या 01 व 02 के हिस्से स्पष्ट रूप से खुले हुये नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में बाद माफिक घोषणा अनुसार बंटवाड़े का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व उतरदातागण संख्या 1 ला 3 व 5 ला 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी उतरदाता संख्या 04 का सम्मन पुनः सही पते के साथ पेश किये जाने का आदेश दिया। उतरदाता/वादीगण द्वारा न तो तलबाना पेश किया, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सम्मन जारी किये, परन्तु दिनांक 17.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र गंगाला में पत्रावली रखते हुये उसी दिन वादीगण तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति होने के बावजूद एकतरफा निर्णय कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई। परन्तु लोक अदालत के नोटिस अपीलांट को नहीं दिये गये। बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व उतरदातागण संख्या 1 ला 3 व 5 ला 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी उतरदाता संख्या 04 का सम्मन पुनः सही पते के साथ पेश किये जाने का आदेश दिया। उतरदाता/वादीगण द्वारा न तो तलबाना पेश किया, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सम्मन जारी किये, परन्तु दिनांक 17.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र गंगाला में पत्रावली रखते हुये उसी दिन वादीगण तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति होने के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

बावजूद एकतरफा निर्णय कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई। परन्तु लोक अदालत के नोटिस अपीलांट को नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई, न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई तथा न ही उतरदातागण संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट व उतरदातागण संख्या 3 ला 9 का कितना–कितना हिस्सा है, इसके बारे में भी किसी भी प्रकार की न तो मोखिक साक्ष्य ली है तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य ली गई। मात्र उतरदातागण संख्या 1 व 2 की कल्पना एवं वाद पत्र को आधार मानते हुये अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भि डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करनें से पूर्व अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। प्रारम्भिक डिक्री में जमाबंदी के अनुसार हिस्से तय किये जाते है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। अपीलांटगण द्वारा साफ हाथों से एवं सद्भवना के साथ न्यायालय में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया। सर्वप्रथम दिनांक 17.08.2016 को ज्ञान हुआ तब अपीलांटगण द्वारा आदेश 09 नियम 07 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले मांगी, जो नकले दिनांक 22.08.2016 को प्राप्त हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद मुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट संख्या 01(प्रतिवादी संख्या 05) व अपीलांट संख्या 02 (प्रतिवादी संख्या 08) के सम्मन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.12.2015 के मुताबिक पर्याप्त तामीलशुदा करार दिये गए है जिससे उनके विरूद्ध अनुपस्थिति के फलस्वरूप एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी पाया है कि वाद में उपस्थित उभयपक्ष वाद पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादी पक्ष भी अपने प्रतिदावा के अनुरूप विभाजन चाहता है। वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सों के संबंध में कोई विवाद नहीं है लिहाजा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांटगण इस प्रारंभिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपति अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर सकते हैं ताकि उभयपक्ष की विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जा सके।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2015 बअनवान वीरमाराम वगैरा बनाम छगनीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1089 दिनांक 17.08.2016 (मौका फर्द दिनांक 11.08.2016) पर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर निर्णय/अंतिम डिक्री पारित करे।

14/6/19
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner